

4866
01/6/18

4866
01/6/18

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

1 JUN 2018

क्रमांक:-प.10(66)आयु./2017

जयपुर, दिनांक

आदेश

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 (अद्यतन संशोधित) के नियम 31 के प्रावधानों के अन्तर्गत उप निदेशक/वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 (अंतः परिवर्तनीय) की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है:-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक मय पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	कार्यारम्भ दिनांक	सर्वग
1	श्री जयकिशन शर्मा / श्री रेखा राम शर्मा	15.07.1958	20.02.1982	GEN

नोट-आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस में आपत्तियाँ निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग को प्रस्तुत की जावें निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायगा।

आज्ञा से,

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर (कृष्ण कुमार माथुर)

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

उप शासन सचिव

क्रमांक:-प्रति 1/हो.चि./वरि.सूची./2015/ 4666-70

दिनांक:- 01-06-18

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 10(66)आयु./2017 दिनांक 01.06.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
4. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर को दी जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार जारी अस्थायी वरीष्ठता सूची को विभाग की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करे।
5. संबन्धित उप निदेशक/वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-1
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीषा सुक्सेना)
कर्मचालयाध्यक्ष